

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

**सूचना/विज्ञप्ति**

**(वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)**

**सेवाकाल में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों की पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन की तिथि में परिवर्तन**

संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ0आ0(03)/2017

दिनांक: जून 13, 2017

- 1- उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के मृतक आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रित 32 पुरुष/महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा 20 जून, 2017 को 35वीं, वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ में कराये जाने विषयक समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 26-5-2017 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त दिवस को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन अब दिनांक **23-6-2017 को 35वीं, वाहिनी, पी0ए0सी0, लखनऊ में किया जा रहा है।**
- 2- शारीरिक दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट [http:// uppbpb.gov.in](http://uppbpb.gov.in) पर दिनांक **13-06-2017** से उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त करेंगे।
- 3- उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 एवं शासनादेश संख्या-1569/6-पु0-10-2016-1200(68)/ 2016 दिनांक 19-10-2016 में दी गयी सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थी को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 19 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4- संगत नियमावली की परिशिष्ट-1 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी तथा जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।
- 5- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों की चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी जो इनकी नियुक्ति की कार्यवाही कराने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव (प्रोन्नति)

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।